FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0149 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/06/2026 20:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:50 बजे **Time To (समय तक):** 13:13 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/06/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/06/2026 20:13:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** MILKPUR SITHT MOHAN BABA KE MANDIR KE MUKHY DAWRA KE SAMANE, BHIWARI TIJARA ROAD PAR BANI TIWARI GENERAL STOR AVM, MINAKSHI COSMETIC CENTRE KI, DUKAN KE BAHAR CHBUTRE PAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** AMARCHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MILKPUR, TAPOOKARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MILKPUR, TAPOOKARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AASHA DEVI		पति:LATE.HITENDRA PAL YADAV	1. TATARPUR DHAULAKA, TAPUKARA,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2026 वक्त करीब 7.30 ए.एम मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान के मोबाइल नं. पर मोबाईल नम्बर से मिसकॉल आई, जिस पर उक्त नम्बर पर मेरे द्वारा वापिस कॉल किया जाकर वार्ता की गई और अपना परिचय दिया जाकर उसका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री जगदीश पुत्र श्री अमरचन्द जाति गुर्जर निवासी गांव मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा होना बताया और बताया कि मेरे पिताजी श्री अमरचन्द का देहान्त होने पर मैने मेरे पिताजी के नाम भूमि का मेरे व मेरे परिजनो के नाम इन्तकाल खुलवाने के लिए तथा मेरे पिताजी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमरसिंह के स्थान पर अमरचन्द करने के लिए वर्ष 2022 में तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया तहसीलदार साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र को हल्का पटवारी श्रीमती आशा के नाम मार्क करने पर मैं मेरे प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी जी से मिला और उसके बताये अनुसार सारे कागजात उनको दे दिये पटवारी मुझे गत कई वर्षो से परेषान कर रही है और मेरा काम नहीं करने पर मैं उसके प्राईवेट परिसर (ऑफिस) पर मिला और मेरे काम के लिए बातचीत की तो आशा पटवारी ने मुझ से कहा आप चार साल से चक्कर काट रहे हो यदि तुम मुझे तीस हजार रूपये नहीं दोगे तो आगे कई साल और चक्कर काटने पडेंगे जिस दिन तुम 30,000 रूपये दे जाओगे तभी तुम्हारा काम होगा अन्यथा चक्कर लगाते रहना। आशा पटवारी मुझसे 30,000/-रूपये की रिश्वत की मांग कर रही है। मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाह रहा हूं और उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं, परिवादी से कार्यवाही हेतु कार्यालय आने के लिए कहा गया तो परिवादी ने कहा स्वास्थय ठीक नहीं होने के कारण आपके कार्यालय नहीं आ सकता, परिवादी ने ये भी अवगत कराया कि आशा पटवारी आज मेरे गांव में आएगी उन्होने सतीश की ई-मित्र की दुकान पर मिलने की कही है। आप आपके कार्यालय से मनसा चौक भिवाडी पर स्टाफ भेज देना, मैं उन्हे वहां मिल जाऊंगा। मैं रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक प्रक्रिया व हिदायत देकर निर्देष दिये गये दिनांक 25.05.2026 को आपसे, मेरे कार्यालय का कर्मचारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. सम्पर्क कर लेगा। तत्पश्चात वक्त करीब 7.40 ए.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी सैनडिस्क को डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर व परिवादी श्री जगदीश के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी गई कि वह मनसा चौक जाकर परिवादी श्री जगदीश से जरिए मोबाइल सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास भिजवाये जाने से पूर्व परिवादी से उसकी शिकायत के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर तथा वॉईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन कराये जाने पर रिकॉर्डर वापस प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखे एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को समस्त हालात जरिए वाट्सअप कॉल बताते रहें एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से अनावश्यक छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री सुण्डाराम हैड कानि. को समय 08.00 एएम पर भिवाडी रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.50 ए.एम श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिए वाट्सअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं, मनसा चौक भिवाडी पहुंचकर परिवादी श्री जगदीश से सम्पर्क करने पर परिवादी ने उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी. अलवर के नाम संबोधन करते हुए एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कार्यवाही करवाने के लिए पेश किया। तत्पश्चात परिवादी, मैं परिवादी के गांव मिलकपुर गुर्जर पहूंचे जहां सतीश ई मित्र की दुकान से कुछ दूरी पर पटवारी आशा के आने का इंतजार करने लगे कुछ समय बाद पटवारी के आने पर मैने आपके निर्देषानुसार परिवादी को विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर, आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु ई-मित्र की दुकान पर रवाना कर दिया था जिस पर करीब पचास मिनट बाद परिवादी जगदीश, ई-मित्र की दुकान से बाहर आ गया और मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर चालू हालत में प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया एवं परिवादी ने बताया है कि मेरी पटवारी आशा से रिश्वत के संबंध में बात हो गई है, उन्होने मेरे पिताजी की जमीन मेरे व मेरे परिजनो के नाम नामान्तरण खोलने तथा मेरे पिताजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमर सिंह के शुद्धीकरण करने के लिए 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी लेकिन मेरे निवेदन करने पर मेरे से 10,000/- रूपये मौके पर ही ले लिये और 5,000/- रूपये की और मांग की है और पैसे एक दो रोज में लेकर आने का कहा है। श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने परिवादी से भी वार्ता करवाई गई तो उक्त बातों की ताईद की, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशी

सहित कार्यालय आने की कही गई तो परिवादी ने बताया आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं दिनांक 26.05.2026 को आपके कार्यालय आ जाऊंगा। इस पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी को वहीं छोडकर मय टेप रिकॉर्डर के कार्यालय आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जो उप अधीक्षक पुलिस एसीबी अलवर के नाम संबोधन से इस आशय का था कि ''मेरे पिताजी श्री अमरचन्द का देहान्त होने पर मैने मेरे पिताजी के नाम भूमि का इन्तकाल खुलवाने के लिए तथा मेरे पिताजी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमरसिंह के स्थान पर अमरचन्द करने के लिए वर्ष 2022 में तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया तहसीलदार साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र को हल्का पटवारी श्रीमती आशा के नाम मार्क करने पर मैं मेरे प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी जी से मिला और उसके बताये अनुसार सारे कागजात उनको दे दिये पटवारी मुझे गत कई वर्षो से परेशान कर रही है और मेरा काम नहीं करने पर मैं दिनांक 22.05.2026 को उसके प्राईवेट परिसर (ओफिस) पर मिला और मेरे काम के लिए बातचीत की तो आशा पटवारी ने मुझ से कहा आप चार साल से चक्कर काट रहे हो यदि तुम मुझे तीस हजार रूपये नहीं दोगे तो आगे कई साल और चक्कर काटने पडेंगे जिस दिन तुम 30,000 रूपये दे जाओगे तभी तुम्हारा काम होगा अन्यथा चक्कर लगाते रहना। मैं श्रीमती आशा पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। का ''उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी व संदिग्ध आरोपी पटवारी के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता होना पाई गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 26.05.2026 को वक्त करीब 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री जगदीश कुमार उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि दिनांक 25.05.2026 को आपसे हुई वार्ता अनुसार समय करीब 10.00 एएम पर आपका कर्मचारी श्री सुण्डाराम ने मुझसे सम्पर्क किया तो मैं मनसा चौक भिवाडी पर श्री सुण्डाराम से मिला और उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी. अलवर के नाम संबोधन करते हुए एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कार्यवाही करवाने के लिए पेश किया। तत्पश्चात आपका कर्मचारी और मैं, मेरे गांव मिलकपुर गुर्जर पहूंचे जहां सतीश ई मित्र की दुकान से कुछ दूरी पर पटवारी आशा के आने का इंतजार करने लगे कुछ समय बाद पटवारी के आने पर आपके कर्मचारी द्वारा टेप रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर रिकॉर्डर को चालू कर मुझे सुपुर्द कर, पटवारी आशा के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु सतीश ई-मित्र की दुकान पर रवाना कर दिया था। मैं ई मित्र की दुकान पर पहूंच कर आशा पटवारी से मेरे काम के बारे में बातचीत की तो पटवारी आशा ने मेरे पिताजी की जमीन मेरे व मेरे परिजनो के नाम नामान्तरण खोलने तथा मेरे पिताजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमरसिंह के शुद्धीकरण करने के लिए 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी लेकिन मेरे निवेदन करने पर मेरे से 10,000/- रूपये मौके पर ही ले लिये और 5,000/- रूपये की और मांग की है और पैसे एक दो रोज में लेकर आने का कहा है। उसके बाद मैं ई मित्र की दुकान से बाहर निकलकर आपके कर्मचारी सुण्डाराम के पास आकर टेप रिकॉर्डर को चालू हालत में दे दिया जिन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। उसके बाद आपके कर्मचारी ने आपसे बात कराई थी तो उक्त बाते मैनें आपको फोन पर भी बता दी थी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं आपके कर्मचारी के साथ आपके कार्यालय नहीं आ सका। तत्पश्चात परिवादी से आरोपिया पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि पटवारी ने एक दो रोज में कागज पत्र सही करने के बाद मुझे बुलाया है। मेरे पास जब भी पटवारी का कॉल आयेगा या मेरा काम हो जायेगा जब मैं आपके कार्यालय आ जाऊंगा। तत्पश्चात वक्त करीब वक्त करीब 11.50 ए.एम पर कार्यालय नगर निगम अलवर से दो कर्मचारी उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों कर्मचारी को अपना परिचय देकर नाम पता पूछने पर एक ने अपना श्री रितिक सिंह चौधरी पुत्र श्री दीपक सिंह उम्र 24 जाति जाट निवासी 4-क-50 शिवाजी पार्क जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री किशनलाल गुवारिया पुत्र स्व0 श्री सुरजभान गुवारिया उम्र 31 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 छावनी नीमकाथाना जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम अलवर होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश कुमार का दोनों गवाहान से परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 25.05.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को दिनांक 25.05.2026 को परिवादी से संदिग्ध आरोपिया श्रीमती आशा पटवारी से करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.30 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री जगदीश कुमार के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपिया श्रीमति आशा, हल्का पटवारी मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा के मध्य दिनांक 25.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 32 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर दिनांक 25.05.2026 को कार्यालय की आलमारी में मन उप

अधीक्षक की निगरानी में सुरक्षित रखा गया, उक्त राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित ही दिनांक 26.05.2026 को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया। जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री जगदीश कुमार व स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री जगदीश कुमार ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व संदिग्ध आरोपिया श्रीमति आशा हल्का पटवारी मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा की होने की पहचान की गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी Sandisk 32 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री जगदीश कुमार के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री भगवानसिंह कानि0 125 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 03.06.2026 वक्त करीब 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री जगदीश कुमार उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपिया श्रीमती आशा पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब 5000/-रूपये साथ लेकर आया हूं जो मेरे पास रखे है। तत्पश्चात वक्त करीब 10.20 ए.एम पर पाबन्दशुदा गवाहान श्री रितिक सिंह चौधरी, कनिष्ठ सहायक व श्री किशनलाल गुवारिया, कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर निगम अलवर हाजिर कार्यालय आये। वक्त करीब 10.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री जगदीश कुमार को आरोपिया श्रीमती आशा पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशी 5,000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 5000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर, उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपिया को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोटो कुल 5000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री रामसिंह कानि. 549 को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाई जाकर श्री रामसिंह कानि.,से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटा पर भलि भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री रितिक सिंह चौधरी से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलनमुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोटो कुल 5000/- रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपिया के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपिया को देवे तथा आरोपिया द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखती है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिस कॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपिया के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री रामसिंह कानि, से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि.,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री जगदीश कुमार दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपिया उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगी तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या

हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त की है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया । तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि ,के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया व ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे और श्री रामसिंह कानि. को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 11.15 ए.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री जगदीश व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री रितिक सिंह चौधरी व श्री किशनलाल गुवारिया एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेषचन्द व एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब टपूकडा के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.50 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के टपूकडा कस्बा पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, आरोपिया श्रीमती आशा, पटवारी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी के मोबाईल से आरोपिया श्रीमती आशा के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया लेकिन फॉन अटैण्ड नहीं किया गया। कुछ समय बाद परिवादी से आरोपिया श्रीमती आशा के उक्त मोबाईल नम्बर पर मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया गया तो आरोपिया पटवारी ने टपूकडा से बाहर होना बताया परिवादी को कल दिनांक 04.06.2026 को अपने पटवार कार्यालय/किराये की दुकान पर अपने काम के संबंध में मिलने के लिए कहा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.30 पी.एम पर परिवादी श्री जगदीश व संदिग्ध आरोपिया श्रीमती आशा पटवारी के मध्य हुई वार्ता अनुसार आरोपिया पटवारी ने परिवादी को कल दिनांक 04.06.2026 को अपने पटवार कार्यालय/किराये की दुकान टपूकडा में बुलाया है। जिस पर परिवादी श्री जगदीश ने कहा साहब मैं कल आपके कार्यालय नहीं आ पाऊंगा आप टपूकडा ही आ जाना मैं यही पर मिल जाऊंगा और ट्रेप कार्यवाही करवा दुंगा। जिस पर परिवादी के पास रखे पाऊडर युक्त रिश्वती राशि को परिवादी से श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को आरोपिया पटवारी का कोई फोन आने पर तुरन्त मन उप अधीक्षक को अवगत कराने व गोपनीयता की हिदायत देकर टपूकडा कस्बा में ही छोडकर तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ साथ लाये वाहनो से टपूकडा से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 3.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा टपूकडा से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दोनों गवाहन के समक्ष पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि को परिवादी से श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दिलवाकर उसे अखबार में लिपटवाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाये गये थे को कार्यालय की आलमारी में रखवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा दोनों गवाहान व स्टाफ को दिनांक 04.06.2026 को सुबह 8.30 बजे उपस्थित होने व गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 04.06.2026 को वक्त करीब 8.00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी श्री जगदीश के मोबाईल से कॉल आया और अवगत कराया कि आज सुबह लगभग साढे सात बजे कॉल आया था लेकिन मैं उठा नहीं पाया लेकिन कुछ समय बाद मैनें आशा पटवारी को वापिस कॉल किया तो उन्होने कहा कि आप आपके वारिसान का शपथ पत्र बनवाकर ले आना मैं आपको टपूकडा मिल जाऊंगी। परिवादी ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे को शपथपत्र बनाने में समय लगेगा इसलिए आप स्टाफ के साथ आ जाना मैं आपको टपूकडा/भिवाडी मिल जाऊंगा। तत्पश्चात वक्त करीब 9.00 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कल दिनांक 03.06.2026 को कार्यालय की आलमारी में रखी पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि को श्री सुण्डाराम हैड कानि. से अखबार में लिपटे हुये ही श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास उसके बैग में सुरक्षित रखवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा तत्पश्चात इसके बाद गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया व ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से पुनः धुलवाया गया तथा ट्रेपबॉक्स में रखवाया गया, तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के

अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपिया के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे और श्री रामसिंह कानि.को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री रितिक सिंह चौधरी व श्री किशनलाल गुवारिया एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, रामजीत सिंह कानि. 206, भगवान सिंह कानि. 125, नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय ट्रेप राशि के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेषचन्द व एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब टपूकडा/भिवाडी के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा टपूकडा कस्बा पहूंचे जहा पाबन्दशुदा परिवादी उपस्थित मिला। जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, आरोपिया श्रीमती आशा, पटवारी के पटवार कार्यालय/किराये की दुकान टपूकडा पर उपस्थित है या नहीं की जानकारी के लिए परिवादी श्री जगदीश को भेजकर दूर से देखकर आने के लिए रवाना किया गया तो परिवादी जगदीश ने आकर बताया साहब आशा, पटवारी के पटवार कार्यालय/किराये की दुकान बन्द है वहां कोई उपस्थित नहीं है। जिस पर परिवादी के मोबाईल से आरोपिया पटवारी श्रीमती आशा के मोबाईल पर कॉल करवाया लेकिन फॉन अटैण्ड नहीं किया गया। कुछ समय बाद परिवादी के मोबाईल पर आरोपिया के उक्त मोबाईल नम्बर से कॉल आया लेकिन परिवादी ने नहीं उठाया तत्पश्चात परिवादी से आरोपिया पटवारी श्रीमती आशा के उक्त मोबाईल नम्बर पर स्वयं के मोबाईल से कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपिया पटवारी ने मुझे बताया है कि मैं टपूकडा से बाहर हूं एक डेढ घण्टे में मिलकपुर गुर्जर में सतीश ईमित्र की दुकान पर मिल जाऊंगी। तत्पश्चात वक्त करीब 12.20 पी.एम पर परिवादी की आरोपिया पटवारी से हुई मोबईल वार्ता अनुसार मिलकपुर गुर्जर में सतीश ईमित्र की दुकान पर मिलने के लिए कहने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के साथ लाये वाहनो से मय परिवादी जगदीश स्वयं के टैम्पू गाडी से साथ साथ टपूकडा कस्बा से मिलकपुर गुर्जर भिवाडी के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 12.50 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मिलकपुर गुर्जर भिवाडी मोहनराम मन्दिर के मैन गैट के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर रिश्वती राशि 5000/-रूपये श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से उसके साथ लाये बैग से उन्ही से निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पैन्ट की दाहिनी जेब में रखवाकर, श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उसके बैग सहित आवश्यक हिदायत देकर एसीबी चौकी अलवर के लिए रवाना किया जाकर, डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपिया श्रीमती आशा, पटवारी के पास मोहनराम मन्दिर के मैन गैट के सामने बनी दुकानो पर रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये दुकानो के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 1.13 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जगदीश कुमार ने मिल्कपुर स्थित मोहन बाबा के मन्दिर के मुख्य द्वारा के सामने भिवाडी तिजारा रोड पर बनी तिवारी जनरल स्टोर व मीनाक्षी कॉस्मैटिक सैन्टर की दुकानो के आगे बने चबूतरे पर खडे होकर सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशार प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को अवगत करवाया जाकर उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर उक्त दुकान के सामने बने चबूतरे पर पहूंचे जहां पर परिवादी श्री जगदीश कुमार से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने उक्त चबूतरे पर लगी हुई दो बैन्चो के मध्य रखी हुई एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी हुई महिला की तरफ ईशार कर बताया की ये श्रीमती आशा पटवारी है जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरे पिताजी श्री अमरचन्द की मृत्यू होने पर मेरे व मेरे परिजनो के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने के लिये व राजस्व रिकॉर्ड मे मेरे पिताजी का नाम अमरसिंह के स्थान पर अमरचन्द करने के लिये 5000/-रूपये की रिश्वत मांग कर लिये है और मेरे से रिश्वत राशि मेरे कागजो के साथ रखकर अपने बैग मे रख लिये। इस पर मन उप अधीक्षक ने उक्त कुर्सी पर बैठी हुई महिला को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उक्त ने अपना नाम श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हितेन्द्र पाल यादव जाति अहीर उम्र 43 साल निवासी ग्राम ततारपुर धौलाका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपिया श्रीमती आशा देवी हाल पटवारी, पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला

खैरथल-तिजारा से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि अभी कहां है के बारे में पूछा तो श्रीमती आशा हाल पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष बताया की मैने इनसे कोई रिश्वत की राशि नही ली है, अभी थोडी देर पहले ये मेरे पास आये और इन्होने अपनी विरासत के इन्तकाल के सबंधं मे कागजात दिये थे जो मैने अपने हाथ मे लेकर अपने बैग में रख लिये उक्त कागजात अभी मेरे बैग में ही है। मैने इनसे कोई रिश्वत ना तो मांगी और ना ही ली है। इस पर पास खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया की साहब पटवारी साहब झूठ बोल रही है मेरे पिताजी की मृत्यू होने पर हमारी भूमि का विरासत का इन्तकाल खुलवाने व राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पिताजी का नाम सही करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदारा को वर्ष 2022 में पेश किया था तहसीलदार साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र को हल्का पटवारी श्रीमती आशा के नाम मार्क कर मुझे देने पर मैने वर्ष 2022 मे ही मेरा प्रार्थना पत्र पटवारी आशा जी को दे दिया था, पर मेरा काम नही हुई मै इनसे कई बार मिला परन्तु इन्होने मेरा काम नही किया। इसके बाद मै दिनांक 22.05.2026 को इनके टपूकडा स्थित प्राईवेट ऑफिस में मिला तो इन्होने मुझसे कहा की चार साल से चक्कर काट रहे हो ना यदि तुम 30000/-रूपये मुझे दे जाओगे तो तुम्हारा काम हो जायेगा। नही तो चक्कर ही लगाते रहना इसके बात मैने इनसे हुई सारी बाते दिनांक 25.05.2026 को आपको फोन पर बताई थी आपने उसी दिन अपना कर्मचारी मेरे पास भिजवाये जाने पर मैने उनको कार्यवाही करवाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था तथा इनके पास जाकर मैने रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने पर इनके द्वारा हमारे काम करने के लिये 10000/-रूपये उसी दिन ही ले लिये और 5000/- की और मांग की गई। इसके बाद आज सुबह इनका मेरे पास फोन आया और इन्होने मुझसे स्टाम्प पेपर पर वारिसान के बारे में लिखवाकर लाने के लिये कहा और अभी थोडी देर पहले आपको निर्देशानुसार इनके बताये अनुसार स्टाम्प पेपर आदि कागजात लेकर इनके बताये अनुसार उक्त दुकान पर आया तो मुझे ये उक्त दुकान के चबूतरे पर कुर्सी पर बैठी हुई मिल और इनके पास कुछ लोग बैठे हुये थे तो मै थोडी देर साईड में चला गया। इसके बाद इनके ईशारे पर मै इनके पास गया और इनसे मेरे काम के बारे में बातचीत की और मैने एफीडेविट व कागजात दिखाये तो इन्होने मुझसे ईशारे में पैसे देने के लिये कहा तो मैन मेरे कागजातो की थैली के साथ 5000/-रूपये रखकर दिये तो इन्होने उक्त थैली मे हाथ डालकर थैली मे रखे हुये रूपयो को थैली के अन्दर ही मेरे कागजात के अन्दर रखकर थैली मुझे दे दी और मेरे कागजात को रूपयों सहित ही वही पर बैंच पर रखे हुये अपने काले रंग के बैग में रख लिये। इसके बाद मैने आपको ईशार कर दिया और आप आ गये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपिया श्रीमती आशा पटवारी से पुनः पूछा तो वह कुछ नही बोली और चुप हो गई। तत्पश्चात उक्त दुकान पर रखी पानी की बोतल मगवायी जाकर स्टाफ से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी, के दांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गैदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का गैदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमती आशा देवी, पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गैदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपिया से पुनः परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने बताया की मैने तो कोई रिश्वत राशि नही ली है इनहोने कागजो के साथ रखी होगी तो मेरे बैग मे ही रखी होगी। इस पर आरोपिया को बैग से निकालने की कहने पर आरोपिया द्वारा बैंच पर रखे काले रंग के बैग की चैन खोलकर उसमें से मुडी अवस्था में कुछ कागजात निकालकर वही पर रखी दुसरी बैच पर रखे तो उन कागजो के मध्य 500-500 रूपये की कुछ नोट रखे हुये थे को गवाह श्री रितिक से उठवाई जाकर गिनने व पूर्व में बनी फर्दपेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 10 नोट कुल 5000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये। जिने गवाह श्री रितिक के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उक्त गिलास में उसी पानी की बोतल से पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक रूई का फौवा लिया जाकर उक्त गिलास के घोल में डुबोकर उक्त बैग से आरोपिया द्वारा परिवादी के कागजात के मध्य जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है उक्त स्थान को रूई के फौवे से रगडकर उक्त फौवे को उक्त गिलास के घोल में डुबाया गया तो गिलास के धौवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व

चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क T-1, T-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। मौके पर लोगो की भीडभाड होने एवं उक्त स्थान पर लाईट की उपयुक्त व्यवस्था नही होने तथा कार्यवाही बाधित होने के कारण उक्त रूई के फौवे को जिससे धौवन लिया गया तथा उक्त कागजात को भी सुरक्षित हालात मे सुखाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया को एक प्लास्टिक की पोलोथीन मे रखकर उक्त पोलोथीन को ट्रेप बाक्स में रख दिया तथा मौके से अब तक की कार्यवाही में जप्तशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान तथा मय निरूद्धशुदा आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी, मय आरोपिया का बैग बरंग काला मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के उक्त दुकान से साथ लाये गये वाहनो से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय के लिये रवाना हुआ। उपरोक्त रवानाशुदा पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय पहूंच वाहनो को थाना परिसर में खडा करवाया जाकर निरूद्धशुदा आरोपिया श्रीमती आशा एवं दोनो गवाहना व ट्रेप पार्टी के सदस्यो को वाहनो से उतराकर पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय पहूंच थानाधिकारी को कार्यवाही से अवगत करवाकर थानाधिकारी के कक्ष में पहूंच फर्द मुर्तिब करना शुरू की गई। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में रखे उक्त रूई के फौवे को बाहर निकालकर उसे सुखाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर उक्त थैली पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क K अंकित कर सील मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में रखे उक्त कागजात का बंच को बाहर निकालकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर उक्त थैली पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर सील मोहर कर उक्त कागजता जिसमें परिवादी के पिताजी श्री अमरचन्द का मृत्यू प्रमाण पत्र, आधार कार्ड श्रीमती ज्ञानू देवी का आधार कार्ड, श्री घनश्याम सिंह आधार कार्ड, श्री ओमप्रकाश आधार कार्ड, श्री सकुन्तला का आधार कार्ड एवं श्री जगदीश कुमार का आधार कार्ड है, की छायाप्रति है, उक्त बंच मे लगे श्री जगदीश कुमार के आधार कार्ड के उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई है पर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री रितिक चौधरी के पास बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री रितिक चौधरी ने अपने पास से निकालकर पेश की। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपये की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री किशनलाल से आरोपिया के बैग बरंग काला की तलाशी लिवाई गई तो उक्त बैग से पटवार हल्का सांथलका की दैनिक डायरी, एवं पटवार हल्का सांथल से संबधित पत्राचार की प्रतियां, एवं पटवार हल्का साडोद के ग्रामों के राजस्व विभाग के कपडे के नक्शे एवं एक मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी बरंग निला मिला जिसमें जिओ कम्पनी की सिम लगी होना जिसके नम्बर होना बताया। राजस्व विभाग से संबंधित रिकॉर्ड को तहसील टपूकडा के अधिकारी/कर्मचारी को तलब कर लौटाया जायेगा तथा आरोपिया का बैग एवं मोबाईल फोन को आरोपिया के परिजनो के उपस्थित आने पर लौटाया जावेगा। बैग में उक्त रिकॉर्ड, मोबाईल फोन के अतिरिक्त कोई अन्य सामान/संदिग्ध वस्तु नही मिली और नाही कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 16 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री भगवान कानि से करवाई गई। इसके बाद आरोपिया से परिवादी से संबंधित कागजातो के बारे में पूछने पर आरोपिया ने बताया की इनके पिताजी का राजस्व रिकॉर्ड में कुछ स्थानो पर अमरचन्द पुत्र रामसरण एवं कुछ स्थानो अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप था मेरे द्वारा अमरचन्द पुत्र रामसरण से संबंधित कार्य को काफि समय पूर्व ही कर दिया गया है तथा इनके पिताजी का अन्य राजस्व रिकॉर्ड में अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप नाम का अंकन है, उक्त नाम सही करने के लिये 136 का उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावा करने के लिये कह दिया था। मेरे पास इनके काम से संबंधित कोई कागजात नही है। दिनांक 25.05.2026 को जब मेरे पास आये थे जब मैने इनको 136 के दावे के लिये कागजात तैयार करने के लिय कहा था जो मुझे दिखाने के लिये आया था। जिनको आपने मेरे बैग से निकलवाकर कर ले लिये है। इस पर उपस्थित परिवादी से कागजात के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया दिनांक 25.05.2026 को इनसे मिला था तो इन्होने मुझसे कहा था की मै आपके नाम दुरूस्ती का काम अपनी रिस्क पर कर दूंगी और आज सुबह इन्होने मुझसे कागजात एवं एफीडेविट मांगे थे जो मैने इनको अभी थोडी देर पहले 5000/-राशि रिश्वत के साथ दे दिये थे। जो आपने जप्त कर लिये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.45 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हितेन्द्र पाल यादव जाति अहीर उम्र 43 साल निवासी ग्राम ततारपुर धौलाका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। वक्त करीब 4.00 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री जगदीश एवं आरोपिया श्रीमति आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा के मध्य आज दिनांक 04.06.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सनडिस्क 32

जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री जगदीश एवं आरोपिया श्रीमति आशा देवी की आवाज की पहचान परिवादी स्वयं द्वारा की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk 32 GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले SanDisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्रीमति मनीषा बाल्याण महिला हैड कानि0 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को खुला रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 04.06.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त करीब 5.00 पी.एम उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री जगदीश कुमार से आरोपिया श्रीमती आशा देवी, पटवारी, पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा द्वारा 5000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भगवान सिंह कानि. द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 16 GB डालकर श्री भगवान सिंह कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सैनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2,अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1, को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2,को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-3 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 75 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। वक्त करीब 5.50 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं आरोपिया श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हितेन्द्र पाल यादव जाति अहीर उम्र 43 साल निवासी ग्राम ततारपुर धौलाका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। वक्त करीब 6.30 पी.एम पर गिरफतारशुदा आरोपिया श्रीमती आशा देवी को श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक व स्टाफ की निगरानी में मुनासिब हिदायत देकर पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय पर छोडा जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री जगदीश कुमार एवं एसीबी स्टाफ सदस्य श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मय वाहन सरकारी मय चालक महेशचन्द के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने ग्राम मिल्कपुर गुर्जर स्थित मोहनराम बाबा के मन्दिर के मुख्य द्वार के सामने बनी तिवारी जनरल स्टोर व मीनाक्षी कॉस्मेटिक सैन्टर की दुकान घटना स्थल पर पहुंचा। उक्त दुकान/मकान पर लगे लाईट की रोशनी एवं रोड लाईट की रोशनी में पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जगदीश कुमार की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मौके से मय हमराहियान के रवाना होकर समय 06.55 पीएम पर पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय पहूंचा। वक्त करीब 7.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर

75 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री हंसराज, भू अभिलेख निरीक्षक सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा ने उपस्थित होकर आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा का सेवा विवरण पेश किया, जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी के बैग में मिले पटवार हल्का से संबंधित कागजात श्री हंसराज, भूअभिलेख निरीक्षक को दिये जाकर रूखस्त किया गया। वक्त करीब 7.30 पी.एम पर समस्त ट्रेप कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री जगदीश कुमार को बाद कार्यवाही पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 7.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री भास्कर हैड कानि. 59, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी, पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 9.20 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के मय गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा के पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती आशा देवी, पटवारी को स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। वक्त करीब 9.50 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। वक्त करीब 10.00 पी.एम गवाह श्री रितिक सिंह चौधरी व श्री किशनलाल गुवारिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर निगम अलवर को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 25.05.2026 को परिवादी श्री जगदीश कुमार की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 04.06.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपिया श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हितेन्द्र पाल यादव जाति अहीर उम्र 43 साल निवासी ग्राम ततारपुर धौलाका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा द्वारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी जगदीश कुमार उनके पिताजी श्री अमरचन्द का देहान्त होने पर स्वयं व परिजनो के नाम इन्तकाल खुलवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिताजी स्व. श्री अमरसिंह के स्थान पर अमरचन्द करवाने की एवजं में आरोपिया द्वारा 30000/- रूपये की रिश्वत मांग करने पर परिवादी ने दिनांक 25.05.2026 को इस संबंध में ब्यूरो को शिकायत दी थी। जिस पर एसीबी चौकी अलवर द्वारा दिनांक 25.05.2026 को सत्यापन करवाया जाने पर आरोपिया ने परिवादी से संबंधित इन्तकाल खोलने एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवादी के पिताजी का नाम दुरूस्त करने के लिये मांग सत्यापन के समय 10000/- रूपये रिश्वत लेना और 5000/-रूपये की मांगकर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 04.06.2026 को 5000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर व ग्रहण की गई व उक्त ग्रहण की गइ रिश्वत राशि आरोपिया के बैग बरंग काला से बरामद होने से आरोपिया का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित होना पाया जाने पर नियमानुसार आरोपिया को गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपिया श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हितेन्द्र पाल यादव जाति अहीर उम्र 43 साल निवासी ग्राम ततारपुर धौलाका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपिया के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर।..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हितेन्द्र पाल यादव जाति अहीर उम्र 43 साल निवासी ग्राम ततारपुर धौलाका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल पटवारी, पटवार हल्का सांथलका, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, खैरथल-तिजारा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 105 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 916-19 दिनांक 06.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- जिला

कलक्टर, खैरथल-तिजारा 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHAVIR SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/06/2026 20:23:34

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)